

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र06-विविध-20/2013(खंड)

5419

/खाद्य, पटना/दिनांक-15/12/2021

प्रेषक,

विनय कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत माह जनवरी, 2022 हेतु खाद्यान्न का संशोधित मासिक उपावंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्रांक-7-1/2019-BP.III(Pt.V) दिनांक-29.11.2021 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के लाभुकों हेतु खाद्यान्न का निम्नवत् संशोधित मासिक आवंटन प्राप्त है (छायाप्रति संलग्न)।

गेहूँ — 183473.157 मे0 टन
चावल — 229622.646 मे0 टन
कुल — 413095.803 मे0 टन

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों हेतु प्रति व्यक्ति 2 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 किलोग्राम चावल की दर से कुल 5 किलोग्राम की दर से माह जनवरी, 2022 हेतु जिलावार तालिका के अनुसार खाद्यान्न का संशोधित मासिक आवंटन निम्नवत् किया जाता है :-

मात्रा किंवदंतल में

क्र०	जिला	अन्त्योदय परिवारों की संख्या	अन्त्योदय परिवारों हेतु 35 किलो प्रति परिवार की दर से खाद्यान्न का आवंटन	भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में पूर्विकताप्राप्त श्रेणी अन्तर्गत माह जनवरी, 2022 हेतु खाद्यान्न का संशोधित आवंटन			कुल खाद्यान्न (4+7)
				खाद्यान्न का संशोधित आवंटन (2 किलो गेहूँ एवं 3 किलो चावल प्रति व्यक्ति की दर से)			
				गेहूँ	चावल	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प० चम्पारण	118848	41596.80	54130.90	64574.48	118705.38	160302.18
2	पूर्वी चम्पारण	140757	49264.95	74735.40	89154.23	163889.62	213154.57
3	शिवहर	14008	4902.80	10375.48	12377.24	22752.72	27655.52
4	सीतामढ़ी	76077	26626.95	53770.62	64144.68	117915.30	144542.25
5	मधुबनी	153989	53896.15	66583.52	79429.60	146013.12	199909.27
6	सुपौल	52761	18466.35	35471.59	42315.19	77786.78	96253.13
7	अररिया	74530	26085.50	49312.09	58825.96	108138.04	134223.54
8	किशनगंज	65105	22786.75	24765.87	29543.99	54309.86	77096.61
9	पूर्णिया	65565	22947.75	53642.80	63992.20	117634.99	140582.74
10	कटिहार	54078	18927.30	50528.33	60276.85	110805.19	129732.49
11	मधेपुरा	40674	14235.90	32476.41	38742.15	71218.56	85454.46

क्र०	जिला	अन्त्योदय परिवारों की संख्या	अन्त्योदय परिवारों हेतु 35 किलो प्रति परिवार की दर से खाद्यान्न का आवंटन	भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में पूर्विकताप्राप्त श्रेणी अन्तर्गत माह जनवरी, 2022 हेतु खाद्यान्न का संशोधित आवंटन			कुल खाद्यान्न (4+7)
				खाद्यान्न का संशोधित आवंटन (2 किलो गेहूँ एवं 3 किलो चावल प्रति व्यक्ति की दर से)			
				गेहूँ	चावल	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	सहरसा	39077	13676.95	32194.76	38406.16	70600.92	84277.87
13	दरभंगा	92388	32335.80	67217.66	80186.08	147403.74	179739.54
14	मुजफ्फरपुर	140512	49179.20	66169.59	78935.81	145105.40	194284.60
15	गोपालगंज	63929	22375.15	29309.32	34964.02	64273.34	86648.49
16	सिवान	53831	18840.85	43476.86	51864.93	95341.78	114182.63
17	सारण	100929	35325.15	45794.50	54629.71	100424.21	135749.36
18	वैशाली	84612	29614.20	52757.15	62935.68	115692.83	145307.03
19	समस्तीपुर	106174	37160.90	69276.41	82642.03	151918.44	189079.34
20	बेगूसराय	74399	26039.65	46301.73	55234.81	101536.54	127576.19
21	खगड़िया	48385	16934.75	27723.30	33072.00	60795.30	77730.05
22	भागलपुर	55855	19549.25	44779.78	53419.22	98199.00	117748.25
23	बांका	35286	12350.10	32677.18	38981.65	71658.83	84008.93
24	मुंगेर	39165	13707.75	17338.67	20683.85	38022.51	51730.26
25	लखीसराय	15921	5572.35	13731.78	16381.07	30112.85	35685.20
26	शेखपुरा	11958	4185.30	8269.45	9864.89	18134.34	22319.64
27	नालन्दा	85618	29966.30	36121.23	43090.16	79211.39	109177.69
28	पटना	122733	42956.55	81633.02	97382.63	179015.65	221972.20
29	भोजपुर	65786	23025.10	34666.53	41354.81	76021.34	99046.44
30	बक्सर	30446	10656.10	16772.08	20007.95	36780.03	47436.13
31	कैमूर	42979	15042.65	15793.57	18840.66	34634.23	49676.88
32	रोहतास	52493	18372.55	33357.64	39793.39	73151.03	91523.58
33	औरंगाबाद	54827	19189.45	31094.26	37093.33	68187.60	87377.05
34	गया	90111	31538.85	55022.48	65638.06	120660.54	152199.39
35	नवादा	46692	16342.20	30969.56	36944.58	67914.14	84256.34
36	जमुई	48525	16983.75	24898.94	29702.74	54601.69	71585.44
37	जहानाबाद	23820	8337.00	12872.64	15356.18	28228.81	36565.81
38	अरवल	18157	6354.95	8578.46	10233.52	18811.98	25166.93
योग :-		2501000	875350.00	1484591.57	1771016.46	3255608.03	4130958.03

3. पूर्व में निर्गत विभागीय पत्र सं०-2998 दिनांक 29.07.2021 एवं पत्र सं०- 5115 दिनांक 29.11.2021 को केवल माह जनवरी, 2022 हेतु इस अंश तक संशोधित समझा जाय। माह जनवरी, 2022 से इतर महीनों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभागीय पत्र सं०-2998 दिनांक 29.07.2021 के अनुसार अगले आदेश तक यथावत् रहेगा। गेहूँ का दर 2/- रु० प्रति किलोग्राम एवं चावल का दर 3/- रु० प्रति किलोग्राम होगा।

4. भारत सरकार से प्राप्त इस संशोधित खाद्यान्न के मासिक आवंटन में अन्त्योदय श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व में आवंटित खाद्यान्न गेहूँ 35014 मे०टन एवं चावल 52521 मे०टन को यथावत् रखते हुए विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत विभागीय पत्र सं०-1666 दिनांक 04.03.2014 द्वारा अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत माह मार्च, 2014 से अगले आदेश तक के लिए आवंटित मासिक खाद्यान्न संबंधी आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

5. उक्त के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जिलान्तर्गत पहचान किये गये पात्र गृहस्थियों को वितरित किये गये वास्तविक राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जाय। जिलों में नये राशन कार्ड के निर्गमन एवं अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड के रद्दकरण के आलोक में समय-समय पर आवश्यकतानुसार खाद्यान्न के आवंटन को संशोधित किया जा सकता है। इस आवंटन के आलोक में यदि जिले में अतिरिक्त खाद्यान्न हो तो उसे निश्चित रूप से प्रत्यार्पित कर दिया जाय।

अनुरोध है कि तदनुसार खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाय एवं प्रत्येक माह के उठाव एवं वितरण संबंधी सूचना अन्न वितरण पोर्टल पर अपलोड करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाय।

अनु0:- 02 पन्ने।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र06-विविध-20/2013(खंड) 5419 /खाद्य, पटना/दिनांक 15/12/2021
प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना एवं महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, अरुणाचल भवन, एकजीविशन रोड, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र06-विविध-20/2013(खंड) 5419 /खाद्य, पटना/दिनांक 15/12/2021
प्रतिलिपि- अध्यक्ष, बिहार राज्य खाद्य आयोग/सभी सदस्य, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना/सभी अपर समाहर्ता -सह- जिला शिकायत निवारण अधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र06-विविध-20/2013(खंड) 5419 /खाद्य, पटना/दिनांक 15/12/2021
प्रतिलिपि- अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र06-विविध-20/2013(खंड) 5419 /खाद्य, पटना/दिनांक 15/12/2021
प्रतिलिपि- अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र06-विविध-20/2013(खंड) 5419 /खाद्य, पटना/दिनांक 15/12/2021
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

F.No. 7-1/2019-BP-III(Pt-V) [376706]
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Kirshi Bhawan , New Delhi
Dated: 29 November, 2021

To,

- (i). The Secretary,
Department of Food & Supplies,
Government of Bihar,
- (ii). The Chairman-cum-Managing Director,
Food Corporation of India, New Delhi.

Subject: Revised allocation of foodgrains under NFSA in regard to Bihar after adjustment of foodgrains remaining out of PMGKAY (April to Nov, 2020) and ANBP—regarding.

Sir / Madam,

I am directed to refer to this Department's letter No.7-1/2019-BP-III(Pt.) dated 30.03.2020 and 08.07.2020 by which Govt. of India had made additional allocation of food-grains from the Central Pool @ 5 kg per person per month free of cost for all the beneficiaries covered under Targeted Public Distribution System (TPDS) (AAY & PHH) including those covered under DBT for a period of 8 months i.e April-Nov, 2020 under PMGKAY and letter dated 15.05.2020 by which Govt. of India had made allocation of free foodgrain (wheat and rice) for migrants/stranded migrants who are not covered under NFSA or state ration card, @ 5 kg per person per month for two months i.e May and June, 2020 under ANBP.

2. In this regard, adjustment of savings of foodgrains remaining out of PMGKAY-I,II and ANB has been done against NFSA allocation of respective State/UT, in regard to 33 States/UTs vide this Department's letter dated 09.04.2021, 25.05.2021, 13.07.2021, 11.08.2021, 13.08.2021, 07.09.2021 and 16.11.2021.

3. Now, based on records available in this Department, savings under PMGKAY-I,II and ANB in regard to State of Bihar has also been finalized as 0.00 MT wheat and 45587.09 MT Rice (Details at Annexure-I) and are being adjusted against January, 2022 month allocation under NFSA.

4. Accordingly, allocation of foodgrains to Bihar, under NFSA for the month of January, 2022 will be as under:

	Rice (in MTs)	Wheat (in MTs)
Current Monthly Allocation under NFSA	276355.023	184236.682
Current Allocation under NFSA for January month (#)	275209.736	183473.157
Revised Allocation for January, 2022 under NFSA after adjustment	229622.646	183473.157

Notes :

(#): After settlement of foodgrains between States/UTs for the period July, 2021 to September, 2021 under national portability i.e. one nation one ration cards, as per this Department's letter No. 1-4/2019-BP-III(e-368491) dated 16.11.2021.

From February, 2022 month onwards normal allocation under NFSA will follow.

5. However, in case, savings available under PMGKAY (April to Nov, 2020) and ANBP is more than the savings calculated by this Department, the same may be immediately informed to this

Department by State Govt, so that the same can also be adjusted against NFSA allocation of Bihar.

6. If any quantity is already lifted by State Govt in excess to their allocated quantity, the same may be adjusted in subsequent month/s by FCI.

7. As the allocation under ANB and PMGKAY was free of cost and savings under ANB and PMGKAY are being adjusted against NFSA allocation, therefore, apart from above adjustment, State Govt is required to deposit the cost of above savings of foodgrains as per prevailing issue rates i.e. @ Rs. 2/3 per kg for wheat and rice.

Yours faithfully,

Digitally Signed by Arun

Kurman Saigal (Saigal)

Under Secretary to Government of India

Date: 29-11-2021 14:45:31

Reason: Approved

Copy To:

1. ED(Sales), FCI, New Delhi
2. AS &FA, DFPD
3. Sr. Economic Adviser (NFSA)
4. General Manager (Sales), FCI, New Delhi.
5. The GM, FCI, Regional Office concerned.
6. The Resident Commissioner, Bihar, New Delhi.
7. Dir (PD)/Dir (Policy)/Dir (Finance & Budget)/Dir(Movt.)/DS(NFSA)/DS(Finance)/DS(BP).
8. NFSA/BP-I / Py.I /Py.IV/PD.I/PD.II/PD.III/ Movt.I / FC A/c Section
9. NIC, Deptt. of Food & PD with the request to upload this allocation letter on the official website of this Department.
10. Hindi section with the request to provide the translated version of the order in hindi.
11. State file / Guard file

Savings under ANB and PMGKAY(Phase-I and II) in regard to State of Bihar

(Figures in MTs)

Sl No.	Name of the State	Total lifting done by State under PMGKAY-II after adjustment vide this Department's letter dated 30.09.2021		Savings considered under PMGKAY-I		Savings considered under ANB		Total foodgrains available with States for distribution under PMGKAY II(July-November, 2020)			Total distribution done by States under PMGKAY-II			Total Savings under PMGKAY-I,II and ANB	
		A		B		C		D = A+B+C			E			F [(D) -(E)]	
		Wheat	Rice	Wheat	Rice	Wheat	Rice	Wheat	Rice	Total	Wheat	Rice	Total	Wheat (*)	Rice
1	Bihar	769553.14	1095722.38	0	146378.2	0	1769.917	769553.1	1243870	2013424	798857.11	1198283.37	1997140.48	-29303.97	45587.09

Note(*) As overall distribution of wheat is more than lifting, hence savings of wheat has been considered as "NIL"